

राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

विवरण - 16

(करोड़ रुपए)

	बजट 2004-2005	संशोधित 2004-2005	बजट 2005-2006
क. राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	56240.00	53388.92	60281.61
सामान्य केन्द्रीय सहायता	25188.07	23070.00	28211.00
गंदी बस्तियों का विकास	341.00	643.00	...
विशेष आयोजना सहायता	700.00	1906.25	2140.00
विशेष केन्द्रीय सहायता	1812.00	1812.00	2029.01
पर्वतीय क्षेत्र	160.00	160.00	160.00
जनजातीय उप-आयोजना	497.00	497.00	727.01
अनुच्छेद 275(1) के अधीन अनुदान	330.00	330.00	380.00
सीमावर्ती क्षेत्र	325.00	325.00	325.00
पूर्वोत्तर परिषद	500.00	500.00	500.00
विशेष केन्द्रीय सहायता	...	750.00	...
परिवर्ती कृषि नियंत्रण	20.00	20.00	30.00
संसद सदस्यों के स्थानीय क्षेत्र विकास की स्कीम	1580.00	1580.00	1580.00
विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	7000.00	8506.00	3987.33
अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	...	2032.14	...
पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए केन्द्रीय संसाधन पूल से सहायता	650.00	650.00	650.00 ¹
त्वरित सिंचाई लाभ स्कीम	2800.00	3050.00	4800.00
सड़कें और पुल	835.53	835.53	1478.55
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई)	2766.00	2391.00	...
(क) ग्रामोदय के अन्य कार्यक्रम	2766.00	2391.00	...
त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम	3500.00	1700.00	2100.00
ग्रामीण विद्युतीकरण	600.00
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) (अन्नपूर्णा सहित)	676.00	1055.00	1182.58
शहरी अवसंरचना के सुदृढीकरण के लिए पहल	500.00	150.00	...
राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई)	3225.00	1969.00	...
किशोर बालिकाओं के लिए पोषाहार कार्यक्रम (एनपीएजी)	141.40	...	162.97
मरु गोचर योजना (एमजीवाई)
राष्ट्रीय ई-गवर्नंस कार्य योजना (एनईजीएपी)	5.00	17.00	300.00
घर विद्युतीकरण	1100.00
गंदी बस्ती विकास के लिए शहरी नवीकरणीय उप-मिशन	1989.62
शहरी अवसंरचना और परिवहन हेतु शहरी नवीकरणीय उप-मिशन	3477.55
पिछड़े जिले/क्षेत्र निधि	5000.00 ²
प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषाहार सहायता-मध्याह्न भोजन योजना	...	1232.00	...
ब्रह्मपुत्र में महत्वपूर्ण बाढ़ नियंत्रण और भू-क्षण रोधी योजना	...	20.00	...
नई और पुनर्संरचित योजनाओं के लिए एक मुश्त प्रावधान	3900.00
ख. संघ राज्य क्षेत्र आयोजनाएं	1464.00	1469.19	1833.39³
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	659.00	682.85	920.49
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली	428.00	486.70	187.39
पांडिचेरी	186.00	196.15	269.10
विधानमंडल सहित संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक आयोजना के लिए एनसीएमपी से संबंधित सहायता के लिए एकमुश्त प्रावधान	45.00
संघ राज्य क्षेत्र आयोजना के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता (ऋण)	464.00
विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र	805.00	786.34	912.90
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	410.00	411.69	501.21
चंडीगढ़	168.00	188.40	201.43
दादरा और नगर हवेली	56.00	60.10	66.70

राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

विवरण - 16

(करोड़ रुपए)

	बजट 2004-2005	संशोधित 2004-2005	बजट 2005-2006
लक्षद्वीप	70.00	72.05	83.04
दमन और दीव	46.00	54.10	60.52
विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक आयोजना के लिए एनसीएमपी से संबंधित सहायता के लिए एकमुश्त प्रावधान	55.00
कुल जोड़ (क+ख)	57704.00	54858.11	62115.00*

* इसमें राज्यों को अनुदानों के रूप में 31799.2 करोड़ रुपए (मांग संख्या 1, 29, 36, 86, 90, 94) राज्यों को ऋण के रूप में 28539.22 करोड़ रुपए (मांग संख्या 29 और 36), संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदानों के रूप में 1312.58 करोड़ रुपए (मांग संख्या 56 और 79) तथा संघ राज्य क्षेत्रों को ऋणों के रूप में 464 करोड़ रुपए शामिल है।

1. इसमें बोडोलैण्ड क्षेत्रीय परिषद (बीटीसी) के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।
2. पूर्ववर्ती राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई)।
3. राज्यों में ई-गवर्नंस शुरू करने के लिए एनडीसी उपसमिति योजना। (अनुमोदन लंबित है)
4. सड़क एवं पुल, एनएसएपी, टीएसपी, गंदी बस्ती विकास और किशोर बालिकाओं के लिए पोषाहार कार्यक्रम (एनपीएजी) के लिए संघ राज्य क्षेत्रों को प्रावधान शामिल है।